



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244849
CG-DL-E-01042023-244849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1434]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1487(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, झारखंड राज्य के एनएच-114ए पर कि.मी. १४१.०० से कि.मी. १८४.०० तक के पेवेड शोल्डर के साथ दो लेन को चौड़ीकरण और ज्यामितीय सुधार। के कि.मी. 141 से 184 झारखंड राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के एनएच-114ए पर कि.मी १४१.०० से कि.मी १८४.०० तक के पेवेद शोल्डर के साथ दो लेन को चौड़ीकरण और ज्यामितीय सुधार हेतु भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम					
1	2	3	4	5	6	7					
1	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीजीशन अफसर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH114A के कि.मी. 141 से 184 तक	झारखंड	देवघर	<table><tr><td rowspan="2">सारवाँ</td><td>1</td><td>बलीडीह</td></tr><tr><td>2</td><td>डहुआ</td></tr></table>	सारवाँ	1	बलीडीह	2	डहुआ	
सारवाँ	1	बलीडीह									
	2	डहुआ									

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/Km.141to Km.184 of NH 114A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1487(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Widening to 2 lane with paved shoulder & Geometric Improvement of NH-114A from Km. 141.00 to Km. 184.00 of Deoghar district of Jharkhand State.

SCHEDULE

Land acquisition on NH-114A from Km. 141.00 to Km. 184.00 in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	District Land Acquisition Officer ()	141KM To 184KM	JHARKHAND	DEOGHAR	Sharwan	<table><tr><td>1</td><td>Balidih</td></tr><tr><td>2</td><td>Dahua</td></tr></table>	1	Balidih	2	Dahua
1	Balidih									
2	Dahua									

[F. No. RW/Ranchi/LA/Km.141to Km.184 of NH 114A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.